भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Northern Regional Office, Chandigarh

मिसिल संख्या -: 9-HRC104/2019-CHA

दिनांक: 07-02-2020

सेवा में ,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
हरियाणा सरकार,
हरियाणा सिविल सचिवालय,
चण्डीगढ़ -160001

विषय:- **Diversion of 32.903 ha (2.789 ha in Jind Division 30.114 ha in Sonipat forest) of forest land in favour of Project Director, NHAI, PIU, Rohtak for rehabilitation and upgradation to 4 laning of Jind-Gohana-Sonipat road, km. 0 to 78.837 (NH 352 A), under forest division and District Sonipat & Jind, Haryana** (Online proposal number FP/HR/Road/37573/2019)

संदर्भ: i) प्र०मु०वन संरक्षक, हरियाणा के पत्र संख्या प्रशा डी तीन 9022/2934 दिनांक 23.10.2019.
ii) Minutes of the REC meeting held on 22.01.2020
iii) नोडल आफिसर (एफ सी) के पत्र संख्या प्रशा डी तीन 9022/3889 दिनांक 27.01.2020

महोदय,
कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-२ के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2. राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने और REC द्वारा स्वीकृति के पश्चात उपर्युक्त विषय हेतु 32.903 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सैधांतिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

i. प्रयोक्ता एजेंसी से site specific CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाये।

ii. वन मण्डल अधिकारी यह लिखित आश्वासन (undertaking) देंगे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नही बदलेगें।

iii. नोडल अधिकारी (State CAMPA) यह लिखित आश्वासन (undertaking) देंगे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेगें।

iv. माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि की नैट प्रजैंट वैल्यु जमा करवाई जाये।

v. प्रयोक्ता एजेंसी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट http//forestsclearance.nic.in थ। http//efclearance.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से जमा करवाएगी।

vi. User agency should ensure that the compensatory levies (CA cost, NPV, etc.) are deposited through challan generated online on web portal and deposited in appropriate bank only. Amount deposited through other mode will not be accepted as compliance of the Stage-I clearance.

vii. User Agency shall ensure that no other proposal in the division, for which Stage-I has already been granted is still pending for compliance of conditions of Stage-I approval. An Undertaking to

सत्यापित प्रतिलिपि
True Copy Attested

बेज न. 24-25, सेक्टर-31ए, चंडीगढ़-160030 / Bays No. 24-25, Sector-31 A, Chandigarh-160030
दूरभाष/Tel No : 0172-2638061 / Fax No : 0172-2638135 Email : ronz.chd-mef@nic.in

Regd. No. 2460
INDIA
Rajinder Kumar Gupta
Seal of Notary Public, KARNAL

28 OCT 2020

vii. User Agency shall ensure that no other proposal in the division, for which Stage-I has already been granted in the past, is still pending for compliance of conditions of Stage-I approval, An Undertaking to this effect that **"no such proposal for compliance of conditions of Stage-I approval is pending with this division"** be submitted. Compliance of the same will be mandatory for the final clearance of this proposal by this office.

viii. The State Govt. shall not issue temporary working permission until the entire compensatory levies are deposited by User Agency and confirmed online on Ministry's web-portal.

ix. Original copy of FRA certificate under Sonipat and Jind division provided.

3. अन्तिम स्वीकृति के उपरांत निम्नलिखित शर्तों का पालन भी किया जायेगा ।

i. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी । प्रस्ताव के अनुसार अनुसार सोनीपत वन मण्डल मे काटे जाने वाले

ii. प्रस्ताव के अनुसार कम से कम वृक्ष काटे जायेंगे | प्रस्ताव के अनुसार अनुसार सोनीपत वन मण्डल मे वृक्षों की संख्या 1292 और पौधो की वृक्षों की संख्या 7366 और पौधों की संख्या 406 और जिन्द वन मण्डल मे संख्या 270 से अधिक नहीं होगी |

iii. प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त राशि से 67.158 हैक्टेयर वन क्षेत्र में पौधें लगाकर किया जायेगा |

iv. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा । वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा ।

v. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी ,विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा|

vi. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा|

vii. एवेन्यू वृक्षारोपण ,सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा|

viii साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पंहुचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे|

ix. वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा|

x. जब कभी भी NPV की राशी बढाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी|

xi. कूड़ा कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जायेगा|

xii. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानत ;वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी , ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके|

xiii. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण ,सुरक्षा तथा विकास हेतू समय – समय पर लगाई जा सकती है |

xiv. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी ।

4. उपरोक्त पैरा-2 के अधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अन्तिम स्वीकृति के लिये प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा |*केन्द्रीय सरकार की अन्तिम अनुमति दिये जाने तक वन भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा ।*

भवदीय,

(सी० डी० सिंह) 7/02/2020

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय)

NO. DIII 9022/4096-98 Dt 13-2-2020

प्रतिलिपि:-

1. अपर वन महानिदेशक (वन), पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन ,मंत्रालय, इन्द्रा पर्यावरण भवन, जोर बाग, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. The Principal Chief Conservator of Forests, Haryana Forest Department, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana.
3. Addl. PCCF (FCA) & CAMPA, Government of Haryana, Forest Department, Sector-6, Van Bhawan, Panchkula, Haryana. 134009
4. The Divisional Forest Officer, Forest Division and District Sonipat, Jind & Gurugram, Haryana.
5. The Project Director, NHAI, PIU-Rohak

Nodal Officer & Conservator of Forests (FC)
O/o Principal Chief Conservator of Forests
Haryana, Panchkula

बेज नं. 24-25, सेक्टर 31 ए, चंडीगढ़-160030 / Bays No. 24-25, Sector 31 A, Chandigarh-160030
दूरभाष/Tel No : 0172-2638061 Fax No : 0172-2638135 Email : ronz.chd-mef@nic.in

ATTESTED
Regd. No. 2460
INDIA
Rajinder Kumar Gupta
Seal of Notary Public, KARNAL

सत्यापित प्रतिलिपि
True Copy Attested

ATTESTED
Notary Public Karnal

26 OCT 2020